न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 41/2010

1. श्री रज्जाक पुत्र गफूर खां नेब जाति मुसलमान निवासी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

2. श्री फतेह मो0 पुत्र गफूर खां।
3. बिस्मिला पुत्री गफूर खां।
4. मजीदन पुत्री गफूर खां।
5. मोसीना पुत्री गफूर खां।
6. श्री उस्मान पुत्र गफूर खां।
7. राबिया पत्नी रमजानी नेब।
8. श्री मुस्ताक पुत्र रमजानी नेब।
9. श्री रेहान पुत्र रमजानी नेब।
10. श्री अफरोज पुत्र रमजानी नेब।
11. हीना पुत्री रमजानी नेब जरिये कुदरती वलिया माता राबिया पत्नी रमजानी नेब। समस्त जातिगण मुसलमान, निवासीगण तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री सज्जन सिंह चौधरी, प्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः– 21.01.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजीयात मौजा ग्राम सरवाड़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
245–242	2103	05–08–00	नहरी 3 न.डो.
	2121	03–02–00	न.ए. व न.डो.
	2304	01–12–00	बारानी 1
	2309	03–05–00	बारानी ए हि0 1/2

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

गफूर खां (फोत)

बिस्मिला	मजीदन	रमजानी	उस्मान	मोहसिना	रज्जाक	फतेह मो0

(फोत)

राबिया	मुश्ताक	रेहान	अफरोज	हीना

यह कि उपरोक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक है एवं पक्षकारान आपस में सजरा अनुसार एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 आपस में सगे भाई बहिन है एवं अप्रार्थी सं. 6 से 10 एवं प्रार्थीसं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 लगायत के सगे भाई रमजानी के वारिस है। उक्त वर्णित भूमि का पारिवारिक बंटवारा पक्षकारान के पूर्वज गफूर खां द्वारा वर्ष 1995 में किया जाकर बंटवारा अनुसार भूमि मौके पर संभला दी गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

विवरण भूमि बंटवारा

खसरा सं. 2103 रकबा 05–08–00 बीस्वा में 01–08–00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 5 के हिस्से में 02–00–00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में, 00–15–00 प्रार्थी के हिस्से में एवं 01–05–00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 2 के हिस्से में तथा खसरा संख्या 2121 रकबा 03–02–00 बीघा में 01–10–00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 4 के हिस्से में व 01–07–00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हिस्से में तथा खसरा सं. 2304 रकबा 01–12–00 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 6 लगायत 10 के पिता के हिस्से में तथा खसरा सं. 2309 का 1/2 हिस्सा रकबा 01–12–10 बीघा भूमि प्रार्थी के हिस्से में आया तथा आधा हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 के हिस्से में आया एवं अप्रार्थी सं. 2 लगायत 10 अपना आधा हिस्सा बेच चुके है। पक्षकारान उपरोक्त हिस्से अनुसार भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है एवं काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी सं. 6 के पति व 7 से 10 के पिता रमजानी की मृत्यु हो जाने से उसके हिस्से पर उसके वारिस प्रतिवादी सं. 6 लगायत 10 काबिज चले आ रहे है।

यह कि पक्षकारान के मध्य उनके पूर्वज गफूर खां ने दिनांक 01.12.1995 को उक्त बंटवारे की पुष्टि में बंटवारानामा स्टाम्प पर लिखवा दिया। वाद वर्णित आराजी पर मौके पर वाद के पेरा सं. 4 अनुसार काबिज चले आ रहे है लेकिन उक्त भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज होने से पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है एवं भूमि की तरकियात में कठिनाई महसूस होती है इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त भूमि का पेरा सं. 4 अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु कही मर्तबा कहा लेकिन वे दिनांक 15.05.2009 को इन्कार हो गये एवं कहा कि हमारे नाम के हिस्से की जमीन को हम मर्जी आये जिसको बेचेगें तथा

Scanned by CamScanner

कब्जा करके रहेगें। प्रार्थी द्वारा ऐसा न करने पर समझाईश की गयी परंतु अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये जिससे प्रार्थी को विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी से प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा करने व उसको अपने नाम मात्र इन्द्राज के आधार पर दीगर को विक्रय, हस्तांतरण करने इत्यादि में सफल हो जाते है तो इससे वादी को अपूर्तियुक्त क्षति होगी। अप्रार्थी सं. 11 लेण्डलोर्ड होने से आवश्यक फरीक मुकदमा है जिससे उसे भी अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थी को पृथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2058–2062
- खसरा गिरदावरी ग्राम सरवाड़ संवत् 2063
- प्रतिलिपी वसीयतनामा अब्दूल गफूर दिनांक 01.12.1995

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जरिए विद्वान अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र गलत एवं असत्य आधारों पर पेश किये जाने से खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त जमीन का बंटवारा नहीं हुआ सम्पूर्ण जमीन चारो भाईयों के सामलाती कब्जे में है। यह कि प्रार्थी की नियत बद है एवं प्रार्थी जो कीमती जमीन है उसको हडपना चाहता है इसलिए प्रार्थी ने गलत व असत्य आधारों पर उक्त वाद पेश किया है जो संपूर्ण जमीन में सभी भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित एवं अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजी पुश्तैनी है एवं इस भूमि का पारिवारिक बंटवारा पूर्व में ही हो चुका है उसी के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अतः प्रतिवादीगण को आराजी की मौके की यथास्थिति हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए।

बाद बहस पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के वांछित रिलीफ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के तथ्यों पर विधिक विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण पूर्णतयाः प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

चूंकि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार है और जब तक विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते तब तक सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच भूमि पर अपने

Scanned by CamScanner

स्वत्व तक प्रत्येक सहखातेदार का अपने स्वत्व तक कब्जा माने जाने की विधिक अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

चूंकि पृथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति की संभावना नहीं है।

प्रार्थी या अप्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरांत विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र या अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर।

चूंकि प्रार्थी अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् सिद्ध करने में असफल रहा है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.01.23 12:35:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: